राजस्थान सरकार

प्रारंभिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प० 2(5)/शिक्षा–I/प्राशि/2003पार्ट   जयपुर दिनांक: 21 AUG 2018

1. **आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।**
2. **आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग जयपुर।**
3. **निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंराज (प्राशि) राज0 बीकानेर।**
4. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।**

विषय : राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 (सशोंधित) गैर अनुसुचित क्षेत्र एवं अनुसुचित क्षेत्र के नवचयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन/ काउंसलिग हेतु कलेण्डर जारी किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :आपका पत्रांक : शिविरा – प्रारं / नियुक्ति/ नि–2/ टीजीटी –16 /ले–2 पार्ट–II/2018 दिनांक 21.08.18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 11.09.2017 को विभिन्न विषयों के पदों पर राजस्थान तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016(सशोंधित) के लेवल–2 गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP AREA) एवं अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) के पदों पर सीधी भर्ती हेतु रिशफल कर अपात्र/अनुपस्थित के स्थान पर नवचयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन के लिए काउंसलिग हेतु कलेण्डर जारी किया जाता है।

क.सं.	विवरण	दिनांक
1	**2**	**3**
1	निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा नवचयनित अभ्यर्थियों के जिला आवंटन की कार्यवाही कर संबंधित जिला परिषद को डाटा व दिशा निर्देश प्रेषित करवाना।	23.08.2018
2	आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर/निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राज. बीकानेर द्वारा काउंसलिंग प्रकिया आयोजित किये जाने से पूर्व शाला दर्शन पोर्टल अपडेट कराना तथा संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा मेरिट लिस्ट से प्राप्त नवचयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन कर पदस्थापन हेतु उपलब्ध अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार करना।	30.08.2018 तक
3	संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा नवचयनित पदस्थापन हेतु उपलब्ध अभ्यर्थियों की अंतिम सूची (Final list) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध कराना।	31.08.2018
4	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार शाला दर्शन पोर्टल पर जिले की लॉगइन पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार काउंसलिंग हेतु रिक्त पदों को अपलोड करना।	04.09.2018
5	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाना।	04.09.2018
6	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग कैंपों (परामर्श शिविर) का आयोजन।	07.09.2018
7	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार जिला स्थापना समिति से अनुमोदन उपरांत नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करना	10.09.2018

अतः काउसंलिंग की समस्त कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

www.rajteachers.com

भवदीय,

विशिष्ट शासन सचिव
प्राशि एवं पंराज (प्राशि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. जिला कलेक्टर।
8. उपनिदेशक, माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा,
9. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा,
10. सम्बन्धित विकास अधिकारी जिला
11. रक्षित पत्रावली।

(जगदीश नारायण जाट)
अनुभागाधिकारी

www.rajteachers.com